बिहार सरकार

परामर्श नीति

राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के लिए

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

परामर्श नीति

1. भूमिका

संस्थान द्वारा परामर्श और परीक्षण संबंधी कार्य किये जाने से शैक्षणिक, अनुसंधान-विकास, नवाचार और उद्योग-संस्थान अंतःक्रिया के संदर्भ में संकाय सदस्यों के ज्ञान और क्षमताओं में वृद्धि होती है, परिणामस्वरूप संस्थान की गुणवत्ता और अन्य मानक भी प्रभावित होते है। इसके अलावा संस्थान के बुनियादी ढांचे जैसे कंप्यूटर, मशीन और उपकरण, आदि का उपयोग भी समुदाय और अन्य हितभागियों को सेवा प्रदान किया जाना भी सुनिश्चित होता है।

इन सेवाओं को शुरू करने का उद्देश्य संस्थान के विकास और अन्य गतिविधियों जैसे सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, उद्यमी क्रियाओं, आदि के आयोजन के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु एक कोष का निर्माण करना है। परामर्श कार्यों से, संस्थानों की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अनुकूल वातावरण बनेगा और संस्थान में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं और संसाधनों का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।

अतः, अनुसंधान-विकास सहित अन्य परामर्श सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, द्वारा एक परामर्श नीति अधिसूचित करने की आवश्यकता है।

2. परामर्श नीति का उद्देश्य

परामर्श नीति का उदेश्य, संस्थानों द्वारा आंतरिक राजस्व सृजन (आईआरजी) की दिशा में आत्म-निर्भरता का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाना और संस्थानों और व्यक्तियों के लिए पर्याप्त लाभ के अवसर प्रदान करना है।

3. परामर्श नीति के फायदे

तकनीकी संस्थानों द्वारा की जाने वाली परामर्श गतिविधियाँ ज्ञान के प्रसार और समाज पर सीधा प्रभाव डालने हेतु एक प्रभावी तरीके के रूप में जानी जाती है। यह परामर्श सेवा संस्थानों और व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान करेगा-

संस्थागत लाभ जिसमें शामिल है परन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं -

- समाज और संस्थाओं / संगठनों के लिए तकनीकी सेवा
- आत्मनिर्भरता के लिए राजस्व
- शैक्षिक कार्यक्रमों और अनुसंधान में वृद्धि
- कर्मचारियों की विशेषज्ञता बढ़ाना
- प्रतिभाशाली संकाय सदस्यों/कर्मचारियों को संस्थान में बनाए रखना
- बुनियादी ढांचे और अन्य संसाधनों का सर्वोत्कृष्ट उपयोग

व्यक्तिगत लाभ जिसमें शामिल है परन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं -

- अनुसंधान गतिविधियों के माध्यम से सीखने की संभावना
- व्यापक पेशेवर हित
- प्रतिष्ठा और विशेषज्ञता में वृद्धि

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

- दीर्घकालिक व्यवसायिक संबंध और नेटवर्किंग
- अतिरिक्त वित्तीय आय

4. परामर्श नीति की प्रयोज्यता

यह नीति विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के तहत संचालित संस्थानों (राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों और पोलिटेकनिक संस्थानों) पर लागू होगी।

5. परिभाषाएं:

5.1 "क्लाइंट" का अर्थ होता है, एक व्यक्ति या एक संगठन या एक एजेंसी (सरकारी/ गैर-सरकारी) जिसके लिए परामर्श परियोजना होनी है या की गई है।

5.2 'सक्षम प्राधिकार" का अर्थ है राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय या पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य या बिहार सरकार के विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा नामित व्यक्ति।

5.3 'परामर्श परियोजना' का अर्थ है, किसी बाहरी एजेंसी द्वारा संस्थान के किसी संकाय सदस्य को पारस्परिक सहमति से काम करने के लिए दिया जाने वाला परामर्श कार्यभार / कार्य। इसमें सम्बंधित विभागाध्यक्ष या संस्थान के एक पदाधिकारी को निर्दिष्ट परामर्श कार्यभार / कार्य भी शामिल होगा जिसे किसी संकाय सदस्य द्वारा परामर्श परियोजना के रूप में लिया गया हो।

5.4 "परामर्शी" का अर्थ है 'बिहार राज्य के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय और पोलिटेकनिक संस्थान का एक संकाय सदस्य या एक विभाग।

5.5 'विभाग' का अर्थ है संस्थान के सभी शैक्षणिक विभाग, शैक्षणिक केंद्र, उत्कृष्टता केंद्र और शैक्षणिक सेवा केंद्र।

5.6 'कार्यकारी समिति (ईसी)' का अर्थ है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गठित संस्थान विकास सोसाइटी की कार्यकारी समिति।

5.7 'संकाय सदस्य' से अभिप्रेत है संस्थान में नियमित रूप से पदस्थापित शैक्षणिक संकाय सदस्य।

5.8 'शासी निकाय' का अर्थ है सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत गठित संस्थान विकास सोसाइटी का शासी निकाय।

5.9 'संस्थान विकास कोष (आईडीएफ)' का अर्थ है संस्थान विकास कोष के रूप में प्राप्त निधि या/और परामर्श परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि, जिसका उपयोग संस्थान के विकास के लिए किया जाएगा।

5.10 "संस्थान" का अर्थ है बिहार के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय और सरकारी पोलिटेकनिक संस्थान।

5.11 'पेशेवर विकास कोष (पीडीएफ)' का अर्थ है परामर्श परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि जिसका उपयोग संस्थान के पेशेवर/ कर्मचारी विकास के लिए किया जाएगा।

5.12 'प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य' का अर्थ है बिहार के सरकारी अभियंत्रण महाविद्यालय ,और सरकारी पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

5.13 "प्रधान परामर्शी "(पी.सी.) से अर्थ है अनुसंधान और परामर्श कार्य करने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और क्षमता के साथ संस्थान के संकाय का एक सदस्य। सामान्य रूप से, संकाय सदस्य जो परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और प्रायोजक के साथ वार्ता करते हैं और परियोजना वित्त पोषण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वही प्रधान परामर्शी होते हैं ।

5.14 'परियोजना" का अर्थ है प्रायोजित अनुसंधान या संस्थान परियोजना या औद्योगिक परामर्श परियोजना या नियमित परीक्षण परियोजना या विनिर्माण सम्बन्धी परियोजनायें ।

5.15 'परियोजना कर्मचारियों' का अर्थ है, (क) परियोजना कर्मी और (ख) परियोजना अनुसंधान कर्मी जो निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप नियुक्त हुए हों।

5.16 'रूटीन परीक्षण परियोजना" का अर्थ उन परीक्षण कार्यों से है जहां विभाग द्वारा दरें तय की जाती हैं। इसमें सम्बंधित विभाग के विभागाध्यक्ष प्रधान परामर्शी होंगे।

5.17 'प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं" का अर्थ वैसी परियोजनाओं से है जो सरकार, सार्वजनिक, निजी, राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और स्वायत्त निकायों द्वारा प्रायोजित हों। परियोजना लागत, आम तौर पर प्रायोजक द्वारा वहन किया जाता है, जिसमें मानव शक्ति, उपकरण का उपयोग, उपभोग्य वस्तु और संस्थान की सहायक सेवाओं के लिए खर्च शामिल है।

5.18 'प्रायोजक ' का अर्थ उस संगठन से है जो संस्थान को एक परियोजना की प्रदान करता है और समय पर परियोजना के सफल समापन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

6 परामर्श सेवाओं के नियम और मानदंड

6.1 परामर्श सेवाओं का दायरा

परामर्श कार्यों के तहत निम्न सेवाएँ दी जा सकती है जो इन्ही तक सीमित नहीं है -

i. संस्थान में उपलब्ध विशेषज्ञता के अनुरूप उद्योगों, सेवा क्षेत्र, सरकारी विभागों और अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को परामर्श सेवाएँ ।

ii. प्रस्तावित परामर्श सेवाएं विभिन्न गतिविधियों जैसे व्यवहार्यता (फिज़िबिलिटी) अध्ययन, प्रावैधिकी आकलन, डिजाइन और/या वर्तमान विनिर्माण प्रक्रिया का आकलन, सामग्री, ऊर्जा, पर्यावरण और मानव शक्ति ऑडिट, उत्पाद डिजाइन, प्रक्रिया विकास, हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर विकास, विघ्न निवारण (ट्रबलशूटिंग), रेट्रोफिटिंग, वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों का विकास आदि में प्रदान की सकती हैं।

iii. परीक्षण (Testing) सेवाएं सामान्य रूप से चयनित विशेष क्षेत्रों में प्रदान की जानी हैं। क्लाइंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए, नियमित परीक्षण सेवाओं को भी शामिल किया जा सकता है ।

संयुक्त सचिव
बिहार, प्राविधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,
बिहार, पटना

iv. मानकीकरण और कैलीब्रेशन सेवाएं उन क्षेत्रों में प्रदान की जा सकती हैं जिनमें सुविधाएं उपलब्ध है या संवर्धित की जा सकती है। ऐसी सेवाओं में सामान्य रूप से प्रयोगशाला उपकरणों के आवधिक कैलीब्रेशन/ मानकीकरण किया जाना चाहिए।

6.2 परामर्श सेवा के प्रकार:

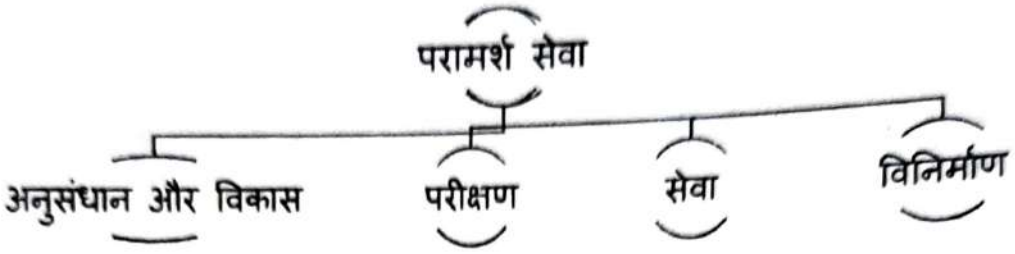

क) श्रेणी I : अनुसंधान एवं विकास परामर्श : इस प्रकार का परामर्श एक निश्चित क्षेत्र में व्यक्तिगत विशेषज्ञता और कौशल पर आधारित होगा।

ख) श्रेणी II : परीक्षण परामर्श - इस प्रकार के परामर्श में एक मानक के निमित्त नमूना/अवयव /उत्पाद का परीक्षण शामिल होगा | इसमें निर्माण में कंक्रीट की शक्ति का परीक्षण, मिट्टी की संघनन शक्ति, दबाव नापने के यंत्र का कैलीब्रेशन और रासायनिक पहचान, किया जाना शामिल होगा। संस्थान परीक्षण कार्य करेगा, बशर्ते परीक्षण सुविधाएं और विशेषज्ञता संस्थान में उपलब्ध हों।

ग) श्रेणी III: सेवा परामर्श:- इस प्रकार के परामर्श में संसाधन व्यक्तियों, कम्प्यूटेशनल सुविधाओं/सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर और अन्य तकनीकी, भौतिक अवसंरचना का उपयोग क्लाइंट द्वारा किया जा सकेगा । उदाहरण के लिए, बाहरी छात्रों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों आदि द्वारा सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का उपयोग या प्रशिक्षण, ऑनलाइन / ऑफलाइन परीक्षाओं या परीक्षणों के संचालन, और अन्य क्षमता निर्माण और / या ई-सेवाओं के लिए संस्थान के तकनीकी मानवबल / कंप्यूटर और अन्य बुनियादी ढांचे का उपयोग।

घ) श्रेणी IV: विनिर्माण परामर्श: - इस प्रकार के परामर्श में लघु सूक्ष्म और मध्यम आकार के उद्यमों (एमएसएमई) के लिए उत्पादों का विनिर्माण शामिल होगा, जो क्लाइंट द्वारा वित्तपोषित होगा और जिसके लिए संस्थान में आंतरिक उपकरणों की विशेषज्ञता होगी। संस्थानों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे आसपास के क्षेत्रों का अध्ययन करें और ऐसी संभावनाओं का पता लगाएं।

6.3 परामर्शी कौन हो सकता है?

वैसे पूर्णकालिक नियमित संकाय सदस्य, जिनके पास अनुसंधान और विकास, प्रकाशन, परीक्षण, उपकरण या अग्रणी विनिर्माण कार्यों से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और व्यावहारिक अनुभव हो, परामर्शी हो सकते हैं ।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं कौशल विकास विभाग
बिहार, पटना

सामान्य दिशानिर्देश

1. [illegible] की अनुमति से परामर्श/परीक्षण कार्य किसी भी संकाय सदस्य द्वारा किया जा सकता है, [illegible] शामिल है। ऐसे कार्य की अनुमति इस शर्त के साथ [illegible] परामर्श/परीक्षण कार्यों में उसी हद तक सम्बद्ध किया [illegible] के लिए निर्धारित कर्तव्यों के निर्वहन में हस्तक्षेप [illegible] शैक्षिक और/या संस्थान [illegible] नहीं होता हो।

2. [illegible] परामर्श कार्य, [illegible] निष्पादन में किसी व्यक्ति या संकाय सदस्य परामर्शियों के [illegible] संस्थान की सुविधाओं का उपयोग किया गया हो /नहीं किया गया हो, उस संस्थान [illegible] परामर्श [illegible]।

3. संस्थान के [illegible] कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग परामर्श परियोजनाओं के निष्पादन के लिए किया जाएगा [illegible] संस्थान के लिए उनके प्राथमिक कार्यों और जिम्मेदारियों को किसी भी [illegible] प्रभावित नहीं करे।

4. यदि प्रधान परामर्शी (पीसी) संस्थान छोड़ देता है या छुट्टी पर चला जाता है या किसी भी कारण से उपलब्ध नहीं है [illegible] परिस्थितियाँ/गंभीर बीमारी), तो नए पीसी की नियुक्ति, सक्षम प्राधिकार द्वारा परामर्श नियमों के पालन एवं मानदंड के अनुरूप प्रायोजक से परामर्श और नए पीसी की लिखित सहमति के उपरांत किया जा सकेगा।

5. संस्थान के किसी भी सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी को परामर्शी के रूप में एक नया परामर्श परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी यदि परियोजना की अवधि उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से आगे है।

6. प्रधान परामर्शी परियोजना कार्य के लिए छात्र सहायकों के रूप में संस्थान के छात्रों (जो [illegible] प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं) को संलग्न कर सकते हैं। ऐसे मामलों में मानदेय का निर्धारण सक्षम प्राधिकार और संबंधित पीसी द्वारा परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के अनुसार किया जाएगा। विनिर्माण कार्य के मामले में, सीखने का [illegible] हेतु छात्रों का उपयोग परामर्श परियोजना के संसाधन के रूप में किया जाएगा और उन्हें कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा।

7. विभाग के प्रमुख (एचओडी) द्वारा हस्ताक्षर के लिए अग्रसारित किए गए प्रस्ताव को सक्षम प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

8. विनिर्माण परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव, सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा इन-हाउस संसाधनों और वित्तीय उपलब्धता के प्रमाण के साथ सक्षम प्राधिकार को समर्पित किया जायेगा।

9. संस्थान के मानव संसाधन का उपयोग सभी प्रकार के परामर्श कार्यों के लिए किया जाएगा, हालांकि, बाहरी संसाधनों को केवल असाधारण आवश्यकता के मामले में काम पर रखा जाएगा, जिसे संस्थान विकास सोसाइटी की कार्यकारी समिति द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाएगा।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

x. प्रत्येक परामर्श परियोजना संस्थान की जिम्मेदारी होगी न कि किसी व्यक्ति की।

xi. परियोजना कार्य के पूरा होने के पश्चात, प्रधान परामर्शी द्वारा खरीदे गए उपकरण या किसी प्रायोजित एजेंसी द्वारा दिया गया सामान, संस्थान की संपत्ति होगी।

xii. परीक्षण और सर्विस सम्बन्धी परामर्श कार्यों के लिए मशीन/उपकरण /सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर का उपयोग केवल संस्थान के परामर्शी द्वारा ही किया जायेगा क्लाइंट/प्रायोजक द्वारा नहीं।

xiii. परियोजना के संचालन का पूरा खर्च प्रायोजक एजेंसी द्वारा पूरा किया जायेगा ।

xiv. परामर्श कार्य से सम्बंधित भुगतान संस्थान के नाम पर होगा, जो नियमों के अनुपालन सम्बन्धी कार्यवाई करने के पश्चात संकाय सदस्य /कर्मचारी को परामर्श कार्य लिए मानदेय देगा।

xv. परियोजना से प्राप्त रिपोर्ट और डेटा, प्रायोजक और परामर्शियों की संयुक्त बौद्धिक संपदा होगी, जिनका उपयोग प्रायोजक द्वारा किया जा सकेगा और जिसे बिना सक्षम प्राधिकार की पूर्व सहमति के किसी तीसरे पक्ष को उजागर नहीं किया जा सकेगा।

xvi. परियोजना के पूरा होने के बाद समापन (कंप्लीशन) रिपोर्ट वित्त पोषण एजेंसी को सौंपी जाएगी ,जिसकी एक प्रति रिकॉर्ड के लिए सक्षम प्राधिकार के कार्यालय को भी दी जाएगी ।

xvii. परियोजना के सफल समापन के पश्चात वित्त पोषण एजेंसी से एक पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना होगा जिसके आधार पर परियोजना का खाता बंद किया जाएगा।

xviii. परियोजनाओं के तहत सभी क्रय बिहार वित्तीय नियमों (बीएफआर) के अनुसार की जाएगी। उपकरणों के मामले में, जो बाहर ले जाना है, उन्हें लेने से पहले उनका बीमा कराया जाना आवश्यक होगा ।

xix. यदि किसी परियोजना के संबंध में किसी स्टाफ/सदस्य के खिलाफ फैक्ट फाइंडिंग कमिटी द्वारा कदाचार और/या कदाचार का प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाता है, तो सक्षम प्राधिकार, संबंधित स्टाफ सदस्य को प्रधान परामर्शी या परामर्शी के रूप में किसी नई परियोजना में भाग लेने पर तब तक रोक लगा सकता है, जब तक कि इस मामले में सक्षम प्राधिकार द्वारा अंतिम निर्णय नहीं ले लिया जाता। तथापि, ऐसे मामलों में संबंधित स्टाफ/सदस्य से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह जिस मौजूदा परियोजना से जुड़ा हुआ है, उसमें अपने दायित्वों को पूरा करें, ताकि मौजूदा परियोजनाओं और प्रायोजक के प्रति दायित्वों को नुकसान न हो।

xx. संस्थान के कार्यालय द्वारा परियोजनाओं का लेखा-जोखा रखा जाएगा जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

शासी निकाय की मंजूरी के बाद संस्थान विकास सोसाइटी की कार्यकारी समिति (ईसी) इस नीति के किसी प्रावधान में आवश्यक संशोधन कर सकती है।

8 परामर्श कार्य से सम्बंधित यात्रा

परामर्श परियोजना से जुड़े कार्य हेतु यात्रा के लिए निम्नलिखित मानदंड होंगे:

i. सम्बंधित विभाग/कार्यालय के प्रमुख को पूर्व सूचना तथा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन उपरांत ही परामर्श कार्यों से जुड़े आउटस्टेशन यात्रा की जाएगी। अगर प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य स्वयं परामर्श कार्य का नेतृत्व कर रहे हों, तो उन्हें विभागीय दिशानिर्देशों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए नामित सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

ii. संस्थान से अनुपस्थिति की अवधि को कम करने के उद्देश्य से यात्रा के सुगम और न्यूनतम दुरी वाले रास्ते का चुनाव किया जाना चाहिए ।

iii. बिहार सरकार के नियमों एवं परामर्शी की पात्रता के अनुरूप टीए-डीए, बोर्डिंग और ठहरने, आदि का खर्च अनुमान्य होगा। विशेष परिस्थिंति में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन एवं परामर्श कार्य की महत्ता एवं क्लाइंट की सहमति के आधार पर परामर्शी अपनी पात्रता से हटकर वास्तविक आधार पर मूल टिकट/विपत्र उपस्थापित करने पर टीए-डीए का दावा कर सकता है। इन सभी खर्चों को संबंधित परामर्श परियोजना निधियों से पूरा किया जाएगा।

9 दस्तावेज़ीकरण

प्रधान परामर्शी द्वारा अपनी टीम के सदस्यों के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा और जब भी आवश्यक हो, उपस्थापित किया जाएगा:

(क) उपस्थिति रिकॉर्ड: परामर्शी, सहायक स्टाफ आदि की उपस्थिति रिकॉर्ड, परामर्श कार्य के दौरान किये गए व्यक्तिवार कार्य घंटा शामिल होगा।

(ख) निरीक्षण/साइट विजिट रजिस्टर: प्रधान परामर्शी द्वारा किसी भी साइट विजिट को रिकॉर्ड करने के लिए एक रजिस्टर संधारित किया जायेगा। क्लाइंट की टिप्पणियों के साथ-साथ साइट विजिट के दौरान परामर्शी द्वारा दिए गए सुझावों को भी रिकॉर्ड किया जायेगा। इसके अलावा, यदि परामर्श परियोजना के दौरान किसी बाहरी विशेषज्ञ द्वारा किसी विशेषज्ञ सलाह की आवश्यकता होती है, तो उसे भी परामर्शी की टिप्पणियों के साथ ही दर्ज किया जायेगा।

(ग) भुगतान रिकॉर्ड: परामर्शी, सहायक कर्मचारियों आदि को किया गया भुगतान रिकॉर्ड किया जायेगा ।

(घ) उपभोग्य और गैर-उपभोग रजिस्टर: सभी उपकरणों, सामग्रियों, सभी उपभोग्य वस्तुओं, गैर-उपभोग वस्तुओं आदि के किराए पर लिए जाने/खरीद दर्ज करने के लिए रजिस्टर और इसका उपयोग रिकॉर्ड किया जायेगा ।

(ङ) यात्रा रिकॉर्ड रजिस्टर: यात्रा पर किए गए सभी व्यय का विवरण दर्ज किया जायेगा ।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

(च) समझौता/अनुबंध फाइल: सभी समझौतों, संविदाओं, ड्राइंग और ऐसे दस्तावेजों जिसकी क़ानूनी आवश्यकता हो सकती है का पूर्ण रिकॉर्ड रखना ।

(छ) आवश्यकता के अनुसार कोई अन्य दस्तावेज।

10 परामर्श निधियों के बजटीय मानदंड और वितरण

संस्थान को परामर्श कार्य से संबंधित सभी भुगतान 'परामर्श सेवा' के मद में प्राप्त होंगे। परामर्श कार्य के लिए फण्ड का परिचालन, संस्थान के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथवा जैसा संस्थान विकास समिति की कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित होगा, किया जाएगा। क्लाइंट से प्राप्त कुल निधि के वितरण के लिए विभिन्न प्रतिशत की गणना के मानक इस प्रकार होंगे:

विवरण	अनुसंधान और विकास परामर्श श्रेणी - I	परीक्षण परामर्श श्रेणी - II	सेवा परामर्श श्रेणी - III	विनिर्माण परामर्श श्रेणी - IV
क्लाइंट से प्राप्त कुल राशि	X	X	X	X
कर और अन्य व्यय	Y	Y	Y	Y
शुद्ध राशि (कर और वास्तविक व्यय की कटौती के बाद) अर्थात Z	Z= (X-Y)	Z= (X-Y)	Z= (X-Y)	Z= (X-Y)
संस्थान का हिस्सा – I	I = 60% of Z	I = 70% of Z	I= 70% of Z	I= 70% of Z
प्रधान परामर्शी / परामर्शी / स्टाफ / अन्य शेयर	40% of Z	30% of Z	30% of Z	30% of Z

11 संस्थान का हिस्सा (I) का वितरण

संस्थानों द्वारा प्राप्त धनराशि संस्थान के साथ-साथ पेशेवरों को विकसित करने के लिए एक कॉमन फण्ड तैयार करेगी। संस्थान को परामर्श कार्यों से प्राप्त राशि, संस्थान विकास कोष (आईडीएफ) और पेशेवर विकास कोष (पीडीएफ) के बीच निम्नलिखित तालिका के अनुसार वितरित किया जाएगा:

विवरण	संस्थान विकास कोष (आईडीएफ)	पेशेवर विकास कोष (पीडीएफ)
श्रेणी I, II, III और IV के तहत परामर्श परियोजनाएं	80% of I	20% of I

आईडीएफ के रूप में आवंटित राशि का उपयोग संस्थान/विभाग हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। जिसमें शामिल है परन्तु यहीं तक सीमित नहीं हैं -

(क) यंत्र /उपकरण/फर्नीचर आदि का क्रय,

(ख) मरम्मत और रखरखाव और एएमसी सम्बंधित आवश्यकता, उपकरणों का फेब्रिकेशन

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

(ग) कार्यालय और प्रयोगशाला की मरम्मत और रखरखाव,

(घ) सम्मेलन/कार्यशालाएं और सेमिनार आयोजित करने के लिए सीड मनी

(ङ) उपकरणों का कैलिब्रेशन

(च) राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) से संबंधित आवश्यकताएं और संस्थान के लिए देश में लागू मानक रैंकिंग सिस्टम के आलोक में रैंकिंग में सुधार।

पीडीएफ के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग इस प्रकार के परामर्श कार्यों से संबंधित व्यक्तियों के पारिस्थितिकी तंत्र के विकास और विस्तार देने के लिए किया जाएगा। इसमें शामिल होंगे, पर यह सीमित नहीं होगा:

(क) संकाय सदस्यों और संस्थान के अन्य स्थायी कर्मियों का क्षमता निर्माण।

इसके अलावा, संस्थान विकास सोसायटी की कार्यकारी समिति, संस्थान को प्राप्त राशि के बजट एवं इसके उपयोग सम्बंधित प्रक्रिया का निर्धारण /संशोधन एवं अनुमोदन करने के लिए जिम्मेवार होगी।

12. परामर्श कार्यों का समापन

परामर्श परियोजना कार्य को किसी भी पक्ष द्वारा 30 दिन का नोटिस देने के बाद समाप्त किया जा सकता है। हालांकि, दोनों पक्ष परियोजना से सम्बंधित शेष दायित्वों को पूरा करेंगे (यदि कोई हो)।

13. विवाद का समाधान

परियोजना से संबंधित विवादों का दोनों पक्षों/संगठनों द्वारा सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटारा किया जाएगा। फिर भी यदि किसी भी प्रकार का मतभेद हो तो, ऐसे मामले में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (डीएसटीटीइ) का निर्णय अंतिम होगा।

14. परामर्श नीति की समीक्षा

इस नीति की समीक्षा तीन वर्ष में एक बार अथवा परामर्श कार्य में संबंधित उभरती हुई आवश्यकताओं के अनुसार कभी भी जा सकती है।

15. परामर्श नीति का संरक्षक

विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, इस नीति का संरक्षक होगा।

संयुक्त सचिव
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
बिहार, पटना

संयुक्त-सचिव